बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

The Times of India 15-04-15

प्रेस विज्ञप्ति

वर्ष 2002-03 में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं बाद के वर्षों में काम के बदले अनाज योजना लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत मजदूरी के घटक के रूप में खाद्यान्न का प्रावधान किया गया था। फरवरी, 2006 में उपरोक्त योजनाएँ बन्द कर दी गयी। इन योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष खाद्यान्न का उपयोग नहीं किया जा सका और न ही उनकी वसूली की गयी जिसके कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के लिए दायित्वों का निर्धारण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समादेश याचिका संख्या- 19529/2011 श्री सदानंद यादव बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक- 11.03.2015 को दिये गये निदेश के आलोक में संबंधित जिलों एवं प्रखंडों में वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में पदस्थापित उप विकास आयुक्तों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से SGRY/NFFW के अंतर्गत खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के फलस्वरूप सरकार को हुई आर्थिक क्षति के लिए ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से स्पष्टीकरण उनके वर्त्तमान पदस्थापन स्थान पर एवं अवकाश प्राप्त की स्थिति में उनके पैतृक विभाग के माध्यम से उनके स्थायी पते पर पत्र भेजकर पूछा जा रहा है। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में जिलों तथा प्रखंडों में पदस्थापित उप विकास आयुक्तों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि पत्र में दिए गए निदेश के आलोक में अपना स्पष्टीकरण विभाग को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर समर्पित करें। स्पष्टीकरण से संबंधित पत्र को ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

तत्कालीन पंचायत सचिव, मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता से जिला स्तर से स्पष्टीकरण पूछने की कार्रवाई की जा रही है।

PR-458(RDD)15-16 Website : www.prdbihar.gov.in ह0/- सचिव

सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।